

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प.11(17)नवि/ जायल / 2023

जयपुर, दिनांक: **21 AUG 2023**

अधिसूचना

राजस्थान नगर सुधार न्यास अधिनियम, 1959 (राजस्थान अधिनियम संख्या 35 सन् 1959) की धारा 3 की उपधारा (1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार जायल (जिला नागौर) के नगरीय क्षेत्र जिसमें निम्नलिखित राजस्व ग्राम सम्मिलित होंगे, का सिविक सर्वे करने एवं मास्टर प्लान क्षितिज वर्ष 2045 तैयार करने हेतु वरिष्ठ नगर नियोजक, अजमेर जोन, अजमेर को नियुक्त करती है :-

क्र.सं.	राजस्व ग्राम का नाम
1.	जायल
2.	गुजरियावास
3.	जानवास

राज्यपाल की आज्ञा से,

(जुगल किशोर मीणा)
संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, राजस्व विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
5. जिला कलक्टर, नागौर।
6. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
7. वरिष्ठ नगर नियोजक, अजमेर जोन, अजमेर।
8. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, जायल जिला-नागौर।
9. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग को अधिसूचना राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक दिनांक 21.08.2023 में प्रकाशन हेतु ऑनलाईन भिजवाये जाने एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
10. रक्षित पत्रावली।


संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय